

प्रेषक,

सी.बी. पालीवाल  
प्रमुख सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-7

लखनऊ : दिनांक : 22 मार्च, 2013

विषय: आगामी ग्रीष्म एवं वर्षा ऋतु को देखते हुए प्रदेश के नागर निकायों द्वारा नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि आगामी अप्रैल, मई व जून में पेयजलापूर्ति की समस्या, वर्षा ऋतु में अतिवृष्टि हो जाने पर जल भराव व जल निकासी की समस्या तथा संक्रामक रोगों जैसे-मच्छर जनित, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया तथा जलजनित डायरिया आदि की सम्भावनायें अधिक हो जाती हैं और कानून व्यवस्था की समस्यायें उत्पन्न हो जाती हैं। इस संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर विभिन्न आदेश/निर्देश जारी किये गये हैं।

2. अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि:

- 1.(अ) ग्रीष्म ऋतु के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए पेयजलापूर्ति के लिये विशेष अभियान चलाकर नगरीय क्षेत्र के समस्त ट्यूबवेल चालू हालत में रखे जायें तथा बन्द पड़े ट्यूबवेलों को ठीक कराकर चालू किया जाय। पेयजल की विभिन्न योजनाओं की जल निगम, जल संस्थान एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा कर उन्हें पूर्ण कराया जायें जिससे योजनायें क्रियाशील हो सकें व उनका लाभ जन सामान्य को प्राप्त हो सके। ऐसे ट्यूबवेल जिनका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका हो और विद्युत संयोजन न हो पाने के कारण नलकूप चालू न हो सके हों, उन्हें चिन्हित कर तत्काल विद्युत संयोजन प्राप्त कर चालू कराया जाय।
- (ब) पेयजल सयंत्रों तथा ट्यूबवेल तथा वाटर वर्क्स को निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाय।
- (स) क्षतिग्रस्त पाईप लाइन व लीकेज को ठीक कराकर स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाय। समुचित पेयजलापूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हैण्डपम्प व ट्यूबवेल के स्पेयर पार्ट जल संस्थान व नागर निकायों द्वारा रखे जायें।

- (द) शहरों-बाजारों में नगरीय निकायों के माध्यम से प्याऊ लगवाये जायें। इस कार्य में स्वयं संस्थाओं का सहयोग लिया जा सकता है।
- (प) रिबोर तथा मरम्मत योग्य हैण्डपम्पों को चिन्हित कर उनके रिबोर तथा मरम्मत की तत्काल कार्यवाही की जाय। बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की व्यवस्था हैण्डपम्प, टैंकर व अन्य माध्यमों से सुनिश्चित की जाय। जनपद स्तर पर विभिन्न विभागों के पास उपलब्ध पानी टैंकर का पूल बनाकर पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति सुनिश्चित की जाय।
- 2.(अ) शहरी क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक वार्ड के लिये एक अधिकारी नामित किया जाये जिसके द्वारा प्रातः 07:00 बजे से 10:00 बजे के मध्य वार्ड में साफ-सफाई का आकस्मिक निरीक्षण किया जाय।
- (ब) सफाई कर्मचारी पर्याप्त संख्या में न हो, तो निजी संस्थाओं से आउट सोर्सिंग के माध्यम से सफाई कार्य कराया जा सकता है। पूर्ण गुणवत्ता के साथ सफाई सुनिश्चित होने पर संस्थान को भुगतान किया जाय।
- (स) सभी सफाई सयंत्रों को सही दशा में रखते हुए सफाई व्यवस्था हेतु उनका समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाय।
- (द) नगरीय क्षेत्रों में कूड़ा प्रबन्धन की संचालित परियोजनाओं को पूरी क्षमता के साथ संचालित किया जाय। जहाँ कहीं कूड़ा प्रबन्ध परियोजना अधूरी हो, उसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाय।
- (प) कूड़े का निस्तारण साइंटिफिक लैण्डफिल या कूड़े के लिये विशिष्ट रूप से चिन्हित स्थल पर ही किया जाय। आवासीय कॉलोनियों के साथ, सड़क के किनारे, गड्ढों में, किसी जल स्रोत या नदी के किनारे कूड़े की डम्पिंग न की जाय।
- (र) जिन शहरों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हेतु डम्पिंग ग्राउण्ड की व्यवस्था नहीं है वहाँ उपयुक्त भूमि का चयन तत्काल किया जाय।
- (च) सफाई व्यवस्था का उपजिलाधिकारियों के माध्यम से कम से कम साप्ताहिक आकस्मिक निरीक्षण कराया जाय।
- (छ) सीवरेज संबंधी प्रोजेक्ट को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने हेतु उनकी समीक्षा की जाये और यदि इसमें कोई कठिनाई आ रही हो, तो स्थल निरीक्षण कर उसके निराकरण हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाय।
- 3.(अ) वर्षा ऋतु से पूर्व विलम्बतम् 15 जून, 2013 तक नालों, नालियों एवं सीवर लाईन की सफाई का कार्य पूर्ण कर लिया जाये जिससे जल भराव की स्थिति उत्पन्न न हो। नाले एवं नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले सिल्ट को उठाकर समुचित स्थान पर डाला जाय।
- (ब) जल भराव से संबंधित स्थलों को चिन्हित कर पानी निकासी हेतु आवश्यकतानुसार पम्प आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

- (4) सड़े-गले फलों एवं खाद्य पदार्थों, की ब्रिकी को प्रतिबन्धित किया जाय। अस्वास्थ्यप्रद एवं मिलावटी खाद्य पदार्थों की जाँच की जाये एवं उनके नमूने मानकों के अनुरूप लिये जायें।
- (5) जलजनित रोगों के नियंत्रण हेतु पेयजल की नियमित क्लोरिनेशन तथा ओवर हेड टैंक की सफाई की जाय। संक्रामक रोगों से बचने हेतु कीटनाशक दवाइयों तथा एन्टीलार्वा के छिड़काव तथा फॉगिंग की मुकम्मल व्यवस्था की जाय। मच्छर जनित रोगों के रोकथाम हेतु एक निर्धारित शिड्यूल के अनुसार वाडों में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से फॉगिंग की जाय।
3. उपर्युक्त निर्देशों के क्रम में आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि:
- (क) मण्डल मुख्यालय से संबंधित जनपदों में मण्डलायुक्त एवं अन्य जनपदों में जिलाधिकारी द्वारा नागर निकायों के अधिकारियों की बैठक कर उक्त समस्त कार्यों की समीक्षा कर ली जाय। समीक्षा के आधार पर जो कमियाँ पायी जायें उनके निराकरण के लिये एक समयबद्ध कार्यक्रम बना लिया जाये जिससे शहर की सफाई व्यवस्था, पेयजल, जल निकासी आदि में उत्तरोत्तर सुधार दिखायी पड़े।
- (ख) उक्त निर्देशानुसार नागर निकायों में हो रहे कार्यों की प्रगति का स्वयं निरीक्षण करें एवं नागर निकायों के अधिकारियों सहित अधीनस्थ अन्य अधिकारियों द्वारा भी निरीक्षण कराया जाय। कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति उदासीन पाये गये कार्मिकों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाय।
- (ग) जो कार्य दूसरे विभागों के साथ मिलकर किये जाने हैं, उनके संबंध में अन्तर्विभागीय समन्वय सुनिश्चित किया जाये जिससे नियत अवधि में मानक के अनुसार कार्य सम्पन्न हो सके।
4. कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(सी.बी. पालीवाल)

प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग/ऊर्जा विभाग।
2. समस्त नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों को प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश, जल निगम, लखनऊ।
4. समस्त महाप्रबन्धक, जल संस्थान, उत्तर प्रदेश।
5. निजी सचिव, मा. नगर विकास मंत्री को मा. मंत्री के सूचनार्थ।
6. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
7. कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।

आज्ञा से,

21/3/2013  
श्रीप्रकाश सिंह  
विशेष सचिव।